

By e-mail

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग  
क्रमांक: प.8(ग)(90)नियम/डीएलबी/22/20378

जयपुर, दिनांक: 13-12-2022

संशोधित आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.8(ग)(1)नियम/डीएलबी/22/19720 दिनांक 12.12.2022 के बिन्दू संख्या-2 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

1. ऐसे व्यवसाय जो मानव स्वास्थ्य को हॉनि पहुँचा सकते हैं, उन पर नियंत्रण करना व विभागीय आदेश क्रमांक 1680 दिनांक 31.01.2017 के अनुसार लाईसेन्स देना जो निम्न प्रकार है:-
  - (i) Eating House, Bakery, Lodging House, Sweet - Meat Shops को पब्लिक हेल्थ लाईसेन्स देकर उन पर नियंत्रण करना।
  - (ii) Food Handler's License होटल, ढाबा, बेकरी या अन्य कोई व्यवसाय जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा फूड हैंडल किया जाता है, उसे कोई Communicable Disease हो तो उसके द्वारा फूड हैंडल करने से फेल सकती है, इस पर नियंत्रण के लिए लाईसेन्स देना।
  - (iii) सिनेमा हॉल, ड्रामा हॉल, स्विमिंग पूल इत्यादि को जन-स्वास्थ्य की दृष्टि से एनओसी दिया जाना, जिससे की वे जन-स्वास्थ्य की दृष्टि से अनिवार्य कृत्यों का पालन करें।
  - (iv) ब्यूटी पार्लर, सैलून इत्यादि को एनओसी दिया जाना जिससे की वे जन-स्वास्थ्य की दृष्टि से अनिवार्य कृत्यों का पालन करें।

विभागीय आदेश दिनांक 12.12.2022 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदयेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/22/20379-2127  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 13-12-2022

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
5. आयुक्त/उपायुत/अधिशोषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
8. समस्त अधिकारी निदेशालय।

9. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
10. मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
11. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
12. निदेशक/अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में उपरोक्त आदेश प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी